कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश,

लखनऊ -226010

का.आ. सं. म.ले.(ले.प.-II)/आई.टी.ए./ **दिनांक: 17 अगस्त 2022**

कार्यालय आदेश

आतंरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा कार्यालय के संपादन अनुभागों की आतंरिक लेखापरीक्षा के दौरान यह इंगित हुआ है कि लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (ए.आई.आर.) सम्बंधित लेखापरीक्षित इकाईयों को प्राय: विलम्ब से जारी की जा रही है, जो कि अनुपालन लेखापरीक्षा गाइडलाइन्स के प्रस्तर 6.4 के अनुसार लेखापरीक्षा समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जारी हो जानी चाहिए। लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन विलम्ब से जारी होने का मुख्य कारण (कुछ मामलों में) लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों का लेखापरीक्षा दलों द्वारा विलम्ब से जमा करना पाया गया, जो कि आई.टी.ए. अनुभाग द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देश, दिनांक 25.01.21 के बिंदु (A) 2 VII के अनुसार लेखापरीक्षा समाप्ति की तिथि से 07 दिनों के अन्दर जमा हो जानी चाहिए।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, महालेखाकार महोदया द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि समस्त लेखापरीक्षा दल **(निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में सम्मिलित दल भी)**, अनुपालन लेखापरीक्षा की समाप्ति की तिथि से, 07 दिनों के अन्दर लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन, सम्बंधित संपादन अनुभाग में जमा करना एवं समस्त संपादन अनुभाग, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन, सम्बंधित लेखापरीक्षित इकाईयों को, 30 दिनों के अन्दर जारी करना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करें।

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदया का आदेश दिनांक: 17.08.2022)

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए.

का.आ. सं. म.ले.(ले.प.-II)/आई.टी.ए./४१-९५ **तददिनांक**

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-IV
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-III
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-II एवं।
4. सचिव महालेखाकार
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी. सेल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

17/08/2022

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए.